रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

Govt. of India

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 10, 1974, वैशाख 20, 1896

No. 3] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 10, 1974/VAISAKHA 20, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

INTERNATIONAL AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May 1974

No. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section , clauses (e) and (f) of sub-section (2) thereof and sub-section (2) of section 38 of the International Airports Authority Act, 1971 (43 of 1971), the International Airports Authority of India, with the approval of the Central Government hereby makes the following regulations, namely:—

1. **Short title, commencement and application.**—(1) These regulations may be called the International Airports Authority of India (Lost Property) Regulations, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

(3) They shall apply to Bombay (Santa Cruz), Calcutta (Dum Dum), Delhi (Palam) and Madras (Meenambakkam) aerodromes.

2. **Definitions.**—In these regulations, unless the context otherwise requires:—

(a) "Act" means the International Airports Authority Act, 1971 (43 of 1971);

(b) "Customs Act" means the Customs Act, 1962 (52 of 1962));

(c) "Director" means the Director of the concerned aerodrome to which these regulations apply;

(d) "lost property" means any property which, while not in proper custody, is found on any premises, belonging to the Authority or under its overall control or in any aircraft on any such premises

(e) "Lost Property Office" means any place specified by the Director for the safe keeping of the lost property and any reference to the delivery of the lost property to the Lost Property Office means delivery to an officer at such an office;

(f) "officer" means an officer of the Authority other than a Director.

3. **Lost property to be handed over to an officer.**—Subject to the provisions of the Customs Act and of the rules and regulations made thereunder, any person (other than an officer) who finds any lost property shall hand it over immediately to an officer in the same condition in which he finds it and inform the officer of the circumstances in which it was found.

4. **Delivery of lost property to the Lost Property Office.**—Subject to the provisions of the Customs Act and of the rules and regulations made thereunder, any officer to whom lost property is handed over under regulation 3, or who himself finds any lost property, shall, as soon as possible, but in any case not later than twenty-four hours, deliver such property, for safe custody in the state in which it comes into his possession to the Lost Property Office and inform the officer at the Lost Property Office of the circumstances in which it was found:

Provided that before any lost property is delivered for safe custody to the Lost Property Office, if it is claimed by a person who satisfies the officer that he is the owner, it shall be returned to that person forthwith on his giving his name and address to the officer who shall, as soon as possible thereafter report the facts and give the claimant's name and address and description of the lost property to the Lost Property Office.

5. **Recording and safe custody of lost property.**—Any lost property delivered to the Lost Property Office shall be retained in safe custody by the Director until claimed by the owner thereof or disposed of in accordance with regulation 7 and the Director shall keep, for a period of not less than twelve months, a record showing the particulars of the lost property (whether delivered to the Lost Property Office or returned to the owner under the proviso to regulation 4), the circumstances in which it was found and its ultimate disposal:

Provided that Indian currency exceeding five hundred rupees or any other article which is not of Indian origin shall be handed over to the Officer of Customs having jurisdiction over the aerodrome concerned and thereupon such officer shall take such action as he deems fit under the Customs Act and rules and regulations made thereunder:

Provided further that official documents including licences, passports and aliens' identity books shall, wherever practicable, be returned forthwith to the appropriate Government department, local authority or other body or person responsible for issuing them or for controlling or dealing with them:

Provided also that where the name and address of the owner of the lost property, other than the documents referred to in the preceding proviso, are readily ascertainable, the Director shall forthwith notify him that the lost property is in his possession and may be claimed in accordance with these regulations.

6. **Restoration of lost property.**—If any lost property, while it is retained in the Lost Property Office in safe custody, be claimed and the claimant proves to the satisfaction of the Director that it belongs to him and he gives his name and address to an officer at the Lost Property Office, it shall be restored to the claimant at the Lost Property Office.

7. **Disposal of lost property.**—(1) If any lost property retained by the Director for safe custody under regulation 5 is not claimed within three months from the date on which it was delivered to the Lost Property Office, the Director shall dispose of it for the best price that can reasonably be obtained and in the event of his failure to secure a reasonable price, he shall forthwith report the fact to his superior authority who shall pass such orders as the circumstances of the case may require.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), if any lost property retained by the Director under regulation 5 is of a perishable nature, and if, within forty-eight hours from the time when it was found it has not been restored under regulation 6, the Director shall dispose of it for the best price that can reasonably be obtained.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) and (2), any lost property which is or which becomes objectionable may forthwith be destroyed or otherwise disposed of in a reasonable manner.

(4) A person whose property has been disposed of under these regulations, shall upon proper verification, be entitled to receive the proceeds of the sale, if any, after deduction of the reasonable expenses incurred by the Authority in connection with the sale.

8. **Examination of lost property.**—Where any lost property is contained in a package, bag a other receptacle, the Director may cause such package, bag or other receptacle to be opened and the contents examined or require the claimant to open it and submit it and its contents for examination, for the purpose either—

(a) of identifying and tracing the owner of the lost property, or

(b) of ascertaining the nature of the contents.

AIR MARSHAL Y. V. MALSE,
Chairman,
International Airports Authority of India.

भारत का अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई 1974

सा० का० नि० 1 (7)/74-खो० एम०.—भारत का अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 (1971 का 43) की धारा 37 की उपधारा (2) के खंड (ड़) और (च) तथा धारा 38 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत का अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (खोई संपत्ति) विनियम, 1974 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(3) ये विनियम मुम्बई (सान्ताक्रुज) कलकत्ता (दमदम), दिल्ली (पालम) तथा मद्रास (मीनाबक्कम) हवाई अड्डों को लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं.—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "अधिनियम" से अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 (1971 का 43) अभिप्रेत है ।

(ख) "सीमाशुल्क अधिनियम" से सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) अभिप्रेत है ;

(ग) "निदेशक" से उस संबंधित हवाई अड्डे का निदेशक अभिप्रेत है, जिस को ये विनियम लागू होते हैं ;

(घ) "खोई संपत्ति" से ऐसी संपत्ति अभिप्रेत है जो, उचित अभिरक्षा में न होते हुए किसी ऐसे परिसर में पायी जाती है जो प्राधिकरण का हो या पूर्णत : उसके नियंत्रण में हो अथवा ऐसे किसी परिसर पर खड़े किसी विमान में हो ;

(ङ) "खोई-संपत्ति कार्यालय" से, ऐसा स्थान अभिप्रेत है जो निदेशक द्वारा खोई संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हो, तथा खोई संपत्ति का खोई संपत्ति कार्यालय में परिदान किए जाने के प्रति निर्देश से यह अभिप्रेत है कि ऐसे कार्यालय में किसी अधिकारी को परिदान किया गया है ।

(च) "अधिकारी" से, प्राधिकरण का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत जो निदेशक से भिन्न हो ।

3. **खोई संपत्ति का किसी अधिकारी को सौंपा जाना.**—सीमा-शुल्क अधिनियम के उपबन्धों तथा तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन कोई व्यक्ति (अधिकारी के अलावा), जिसे कोई खोई हुई संपत्ति मिलती है, उसे शीघ्र ही उसी दशा में जिसमें वह उसे मिलती है, किसी अधिकारी को सौंपेगा तथा उन परिस्थितियों के बारे में सूचना उस अधिकारी को देगा जिन परिस्थितियों में वह उसे मिली है ।

4. **खोई संपत्ति का खोई संपत्ति कार्यालय में परिदत्त किया जाना.**—सीमा-शुल्क अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन, कोई भी अधिकारी, जिसे विनियम 3 के अधीन खोई-संपत्ति सौंपी जाती है अथवा जो स्वयं कोई खोई-संपत्ति पाता है, यथा संभव शीघ्र, परन्तु हर हालत में 24 घंटे से पूर्व, उस संपत्ति को उसी दशा में, जिसमें वह उसके कब्जे में आती है, सुरक्षित अभिरक्षा के लिए खोई संपत्ति कार्यालय के परिदत्त करेगा तथा खोई संपत्ति कार्यालय के अधिकारी को उन परिस्थितियों की बाबत सूचना देगा, जिनमें वह संपत्ति उसे मिली थी ।

परन्तु सुरक्षित अभिरक्षा के लिए किसी खोई हुई संपत्ति को खोई संपत्ति कार्यालय को परिदत्त करने से पूर्व यदि किसी व्यक्ति द्वारा, जो अधिकारी का समाधान कर लेता है कि वह उसका स्वामी है, इसके बारे में दावा किया जाता है तो वह संपत्ति उसे, अधिकारी को अपना नाम और पता देने पर, तुरन्त लौटा दी जाएगी । वह अधिकारी तत्पश्चात् यथा संभव शीघ्र इन तथ्यों के बारे में रिपोर्ट करेगा और दावेदार का नाम एवं पता तथा खोई संपत्ति कार्यालय को खोई संपत्ति का विवरण देगा ।

5. **खोई हुई संपत्ति का अभिलिखित किया जाना तथा सुरक्षित अभिरक्षा.**—खोई संपत्ति कार्यालय को परिदत्त की गई कोई खोई संपत्ति, निदेशक द्वारा जब तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी, जब तक उस संपत्ति के स्वामी द्वारा उसके बारे में दावा नहीं किया जाता है अथवा विनियम 7 के अनुसार उसका व्ययन नहीं किया जाता है तथा निदेशक खोई संपत्ति, चाहे खोई संपत्ति कार्यालय को परिदत्त की गई हो या विनियम 4 के परन्तुक के अधीन स्वामी को लौटायी गई हो, की विशिष्टियां उन परिस्थितियों को जिसमें वह संपत्ति पाई गई है तथा उसका अन्तिम व्ययन दर्शित करते हुए अभिलेख कम से कम बारह महीने की अवधि के लिए रखेगा ।

परन्तु पांच सौ रूपए से अधिक की भारतीय मुद्रा अथवा कोई अन्य वस्तु जो मूलतः भारत की न हो, सम्बद्ध हवाई अड्डे पर अधिकारिता रखने वाले सीमा शुल्क अधिकारी, को सौंपी जाएगी तथा तदुपरि वह अधिकारी ऐसे कार्रवाई करेगा जैसी वह सीमा-शुल्क अधिनियम तथा तद्धीन बने नियमों और विनियमों के अधीन ठीक समझे ।

परन्तु यह और कि सरकारी प्रलेख जिनमें अनुज्ञप्तियां पारपत्र तथा विदेशियों के परिवहन पत्र सम्मिलित हैं, यथासाध्य, तुरन्त समुचित सरकारी विभाग, स्थानीय प्राधिकरण अथवा अन्य निकाय या उन्हें जारी करने या नियंत्रित करने अथवा उन पर कार्यवाई करने के लिए उत्तरवर्ती व्यक्ति को लौटा दिए जाएंगे ।

यह भी कि जहां पूर्ववर्ती परन्तुक में उल्लिखित प्रलेखों से भिन्न, किसी खोई संपत्ति के स्वामी का नाम और पता तुरन्त अभिनिश्चित किया जा सकता हो, वहां निदेशक तुरन्त उसको यह अधिसूचित करेगा कि खोई सम्पत्ति मेरे कब्जें में है तथा इन विनियमों के अनुसार उसके बारे में दावा किया जा सकेगा ।

6. **खोई संपत्ति का वापिस दिलाया जाना.**—जब कोई खोई हुई सम्पत्ति के बारे में जब कि वह खोई संपत्ति कार्यालय में सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई हो, दावा किया जाता है तथा दावेदार निदेशक के समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध कर देता है कि यह मेरी है और खोई सम्पति कार्यालय के किसी अधिकारी को अपना नाम और पता दे देता हो, तो सम्पत्ति, खोई सम्पति कार्यालय में दावेदार को वापस कर दी जायगी ।

7. **खोई संपत्ति का व्ययन.**—(1) यदि निदेशक द्वारा विनियम 5 के अधीन सुरक्षित अभिरक्षा के लिए रखी गई किसी खोई सम्पति के बारे में उस तारीख से जिसको वह खोई सम्पत्ति कार्यालय को परिदत्त की गई थी तीन मास के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा दावा नहीं किया जाता है तो निदेशक इसका व्ययन अधिक से अधिक कीमत पर, जो युक्तियुक्त रूप में प्राप्त की जा सके, कर देगा तथा युक्तियुक्त कीमत प्राप्त करने में असफल होने की दिशा में तुरन्त इस पक्ष के बारे में अपने वरिष्ठ प्राधिकारी को रिपोर्ट देगा जो ऐसे आदेश देगा, जैसे कि उस मामले में परिस्थितियां अपेक्षित करे ।

(2) उप-विनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि निदेशक द्वारा विनियम 5 के अधीन रखी गई कोई खोई सम्पत्ति नाशवान प्रकृति की है, और यदि इसे पाए जाने के समय से चौबीस घण्टे के भीतर विनियम 6 के अन्तर्गत वापिस नहीं लिया जाता है, तो निदेशक उसका व्ययन अधिक से अधिक कीमत पर, जो युक्तियुक्त रूप में प्राप्त की जा सके, कर देगा ।

(3) उप-विनियम (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी खोई सम्पति को जो आपत्तिजनक हो जाती है या बन जाती है, तुरन्त नष्ट कर दिया जाएगा अथवा युक्तियुक्त रीति से उसका व्ययन कर दिया जायगा ।

(4) जिस व्यक्ति की सम्पत्ति इन विनियमों के अधीन व्ययनित की जाती है वह उपयुक्त सत्यापन के पश्चात् विक्रय आगम, यदि कोई हो, प्राधिकारी द्वारा विक्रय के सिलसिले में किए गए खर्चों की कटौती करने के पश्चात, प्राप्त करने का हकदार हो जाएगा ।

8. **खोई संपति की परीक्षा.**—खोई सम्पत्ति जब किसी पैकेज, थैले या अन्य आधान में बन्द हो, तो निदेशक ऐसे पैकेज, थैला या अन्य आधान को खुलवा सकता है और

उसकी वस्तुओं की परीक्षा कर सकेगा अथवा दावेदार से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसे खोले तथा उसे अन्तर्वस्तुओं सहित निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसी के लिए परीक्षा किए जाने के लिए प्रस्तुत करे :—

(क) खोई सम्पत्ति की पहचान तथा उसके मालिक का पता लगाने; अथवा

(ख) इसकी अन्तर्वस्तुओं की प्रकृति अभिनिश्चित करने के लिए ।

एयरमार्शल वाई० वी० मालसे
अध्यक्ष,
भारत का अन्तर्राष्ट्रीय
यानपत्तन प्राधिकरण ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974